खण्ड 2
भारतीय संविधान

खण्ड 2

परिचय

भारत का संविधान सभी नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा, भाईचारा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता प्रदान करता है। इस खण्ड का उद्देश्य संविधान की प्रमुख विशेषताओं, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों, उनके आपसी संबंधों से अवगत कराना है। यह राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों से भी संबंधित है। यह राज्य को निर्देश देती है कि वह लोगों के कल्याण के लिये नीतियाँ बनाऐं। ये विशेषताएं इस खण्ड में तीन इकाइयों में बाँटी गई है। इकाई संख्या चार में संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा होती है। इकाई संख्या पाँच मौलिक अधिकारों के बारे में है। तथा इकाई संख्या छः राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 मूलभूत विशेषताएँ*

संरचना

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 भारत सरकार अधिनियम, 1935

4.3 संविधान सभा

4.4 प्रमुख विशेषताएं

4.4.1 सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य

4.4.2 राज्यों का संघ

4.4.3 मूल अधिकार

4.4.4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

4.4.5 मूल कर्त्तव्य

4.4.6 केन्द्र : कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका

4.5 आपातकालीन प्रावधान

4.5.1 सामान्य आपातकाल

4.5.2 संविधानिक आपातकाल की घोषणा

4.5.3 वित्तिय आपातकाल

4.6 संघवाद

4.6.1 केन्द्र–राज्य संबंध

4.7 सापेक्ष तथा लचीलापन

4.8 सारांश

4.9 संदर्भ सूची

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

4.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं चर्चा करेंगे विशेषकर संविधान के लागू होने के पूर्व की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे :–

- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की सूची एवं
- प्रमुख विशेषताओं के महत्व को रेखांकित करना।

4.1 प्रस्तावना

भारत का संविधान देश के लोगों की इच्छा का प्रतीक है। यह शासन के विस्तृत कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संविधान को संविधान सभा में लंबी बहस के पश्चात् तैयार किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 6 सितंबर, 1946 को शुरू हुई थी एवं संविधान 26

*डा. रमना, पूर्व फैला, आई.डी.ए., नई दिल्ली

जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम 1935 था।

4.2 भारत सरकार अधिनियम, 1935

यह अधिनियम संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट का उपज था जो कि ब्रिटिश संसद में चर्चा की गयी थी जिस पर महारानी ने 2 अगस्त, 1935 को अपनी सहमति प्रदान की थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को कुछ संशोधनों के साथ बाद में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। इनमें सबसे प्रमुख है संघीय ढाँचा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार (केन्द्र और राज्य) तथा इनके बीच सीमाओं का विभाजन। केन्द्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। द्विसदनात्मक विधायिका, उच्च सदन एवं निम्न सदन (लोक सभा एवं राज्य सभा) तथा राज्य विधान मण्डल (विधान सभा और विधान परिषद) एवं संघीय न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय)।

4.3 संविधान सभा

संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था, बहुत कठिन था। संविधान लोगों की इच्छाओं एव ंअपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया था, जिनका सदियों से अन्याय, शोषण एवं सामाजिक भेदभाव हो रहा था। साथ ही साथ दो शताब्दी तक औपनिवेशिक शासन था। इसके अतिरिक्त संविधान के अंदर सभी धर्मों एवं सभी वर्गों के हितों का भी ध्यान रखा गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आम सहमति पर आधारित थी, बजाय बहुमत के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें विभिन्न विचार धाराओं एवं कानूनी पृष्ठ भूमि के लोगों ने साथ मिलकर कार्य किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे, जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे एवं जवाहर लाल नेहरु इसके प्रमुख विचारक थे। इस सभा के अन्य प्रमुख सदस्य थे, डॉ. भीमराव अम्बेंडकर, टी.टी. कृष्णामचारी, अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभिसित्तामैया थे।

इस संविधान सभा में 381 सदस्य थे ये सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। जिसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेंसन, मुस्लिम लीग जैसे दल शामिल थे। इसके अलावा इस सभा में प्रांतों के प्रतिनिधि तथा कुछ स्वतंत्र सदस्य भी शामिल थे।

इस संविधान सभा में संविधान के प्रावधानों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई इसके लिए विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया। जिसे संविधान सभा में सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। इन समितियों में सबसे प्रमुख समिति ''प्रारूप'' समिति थी जिसने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेंडकर थे।

कुछ संशोधनों के पश्चात् 26 नवंबर, 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसके दो माह पश्चात् अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था।

यह वास्तव में काफी सराहनीय है कि संविधान सभा के सदस्यों ने तीन वर्ष के अंदर संविधान निर्माण के कार्य को पूरा किया था। जबकि अन्य देशों में संविधान निर्माण में काफी समय लगा था। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है जिनका दृष्टिकोण विस्तृत था। जबसे हमारा संविधान लागू हुआ है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है।

बदली हुई परिस्थितियों में इसमें कई संशोधन भी किये जा चुके हैं लेकिन इसकी मूल विशेषताओं को नहीं बदला गया है।

4.4 प्रमुख विशेषताएं

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :— संविधान सर्वोपरी है; भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा, भारत एक गणराज्य है और यह राजशाही में परिवर्तित नहीं हो सकता, लोकतंत्र केवल मताधिकार ही नहीं है बल्कि यह जीवन का आधार है। धर्मनिरपेक्षता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका इस लोकतंत्र के दो पहिये है। संविधान में बिना किसी मूल भावना को बदले संशोधन किये जा सकते हैं। हम इन विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।

4.4.1 सार्वभौमिक, लोकतंत्र, गणराज्य

संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया है कि हमारे देश के लोग सार्वभौमिक है। अर्थात् संप्रभुता लोगों में मौजूद है तथा इसका इस्तेमाल संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो कि इस उद्देश्य के लिए बनाये गये हैं। संप्रभुता का किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अर्थात् भारत किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नही हो सकता या किसी उपनिवेश में तबदील नहीं हो सकता। अर्थात् हमारे देश का संपूर्ण स्वतंत्रता आन्दोलन इसी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित था। हमारी प्रस्तावना में यह भी लिखा है कि हमारा देश गणराज्य होगा जो लोकतांत्रिक सरकार पर आधारित होगा। गणराज्य में राजशाही का स्थान नहीं है। लोग स्वयं देश में शासन करेंगे या फिर उनके प्रतिनिधि देश पर शासन करेंगे।

4.4.2 राज्यों का संघ

संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसने भारत को राज्यों का संघ माना है। (अनुच्छेद 1) संविधान में नये राज्यों के गठन का प्रावधान है तथा नये राज्यों को शामिल करने का भी प्रावधान है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटका तथा केरल। बम्बई राज्य का भी दो भागों में विभाजन किया गया जिससे महाराष्ट्र एवं गुजरात नये राज्य बनाये गये। अभी हाल ही में वर्ष 2000 में तीन नये राज्यों का गठन किया गया। उत्तरांचल, छत्तीसगंढ़ एवं झारखंड। 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जब संविधान लागू हुआ तब भारत में कुछ देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। इनमें से कुछ रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया जिसमें हैदराबाद के निजाम का उदाहरण प्रमुख है। इसके अलावा फ्रेंच एवं पुर्तगीज उपनिवेश भी थे। बाद में पांडिचेरी एवं गोवा भी भारत में शामिल हो गये थे। अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया — जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।

4.4.3 मूल अधिकार

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है। ये अधिकार इस प्रकार हैः— समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार तथा संविधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया हैं। (44वें

संशोधन के बाद) देश के हित में संपत्ति को जब्त किया जा सकता है तथा इसके ऐवज में उसे मुआवजा दिया जा सकता है।

मूल अधिकारों को संविधान के भाग तीन में रखा गया है तथा इनको लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अर्थात् मूल अधिकार न्यायोचित है। इनमें से कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही दिये गये है, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 हालांकि सबके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना जरूरी है, कि हमारे अधिकार असीमित नहीं है। इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपातकाल के अलावा मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 359–7ए)।

स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्रित होना, संगठनों के गठन का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने या रहने का अधिकार तथा किसी भी धर्म का अनुयायी बनने का अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में दिये गये प्रतिबंधों से बंधे है। अनुच्छेद 20 के अधीन, संविधान ने अपराध के दोषी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा। (दोहरे जोखिम से बचाव) तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अर्थात् राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे कारणों से अवगत कराये बिना नहीं रखा जायेगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति को तीन माह या इससे अधिक तक सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में रखा जा सकता है।

समानता का अधिकार

संविधान का अनुच्छेद, 14 प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के गांरटी प्रदान करता है। अर्थात् सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के न्यायालय की तरफ जा सकता है तथा न्यायालय बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद न करे। इसमें राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है इन वर्गों के लिये शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसी टिप्पणीकार ने यह कहा कि, (क) संविधान निर्माताओं ने सभी लोगों के लिये उचित मात्रा में जीवन–यापन के लिए प्रावधान दिये हैं। (ख) संसाधनों एवं धन का सही तरह से वितरण किया है ताकि किसी एक के हाथों में न रहे बल्कि इसके ऊपर सभी का नियंत्रण हो। (ग) महिला एवं पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये। (घ) सभी कामगारों या मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाये तथा (ङ) देश के बच्चों का शोषण से रक्षा करना तथा उनके विकास एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना।

अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को रोजगार में समान अवसर के अधिकार का अवसर की समानता की गांरटी दी गयी है। तथा संविधान ने अस्पृश्यता (छुआछूत) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह एक प्रकार का अपराध है तथा अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों का प्रतिरोध है।

4.4.4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

नीति–निर्देशक सिद्धांत आयरलैण्ड के संविधान से लिये गये हैं। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिये कुछ नियम एवं कानूनों का पालन करना आवश्यक है। मूल अधिकारों की तरह ये सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। यदि हम साधारण भाषा में समझे तो ये मुख्य तौर पर कल्याणकारी सिद्धांत हैं। संविधान इन सिद्धांतों की गांरटी नहीं देता इसलिये इनके क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के मूल रूप है।

4.4.5 मूल कर्त्तव्य

संविधान के भाग 4 में शामिल मूल कर्त्तव्य सभी नागरिकों को अनुपालन करने के लिये प्रदान किये गये हैं। सभी नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय झण्डा एवं राष्ट्रगाण का सम्मान करना चाहिये। सभी नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे देश की एकता एवं अखंडता बनाये रखे तथा अच्छे समाज के निर्माण के लिये कार्य करें जहाँ किसी प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ न हो। सभी नागरिकों के अपने प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों की रक्षा करना चाहिये तथा उच्च स्तर प्राप्त करने के लिये कार्य करना चाहिये।

4.4.6 संघः कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका

जैसा कि सभी राजनीति विज्ञान के छात्र जानते हैं सरकार के तीन अंग या तीन शाखाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच सौहार्दपूर्वक कार्य ही देश के लिये हितकारी है।

विधायिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि सरकार, या मुखिया प्रधानमंत्री होता है जिसमें उसके मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल हैं तथा ये सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

कार्यपालिका

भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। विधायिका लोक सभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संघीय मंत्रीपरिषद के सदस्य दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है चाहे लोक सभा हो या फिर राज्य सभा।

राष्ट्रपति

संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधान सभा के सदस्य 'एकल हस्तांतरणीय मत' के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव एवं पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में दिये गये हैं।

राज्य के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किये जाते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ही तरह भारत के राष्ट्रपति को भी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर बनाया गया है। राष्ट्रपति सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता हैं। उसे किसी अपराधी की सजा कम करना या माफी देने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महाधिवक्ता, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, भारत के महालेखाकार इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।

मंत्रीपरिषद

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि केबिनेट एवं मंत्रीपरिषद में अंतर होता है। केबिनेट में केबिनेट रैंक एवं राज्य मंत्री होते हैं जबकि परिषद में उप मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है। मंत्रीपरिषद ही राष्ट्रपति को देश के कार्यों या मामलों में सहायता एवं सलाह देती है। इनमें सबसे प्रमुख है संसद का विघटन (लोक सभा का विघटन), युद्ध की घोषणा या फिर आपातकाल की घोषणा करना।

विधायिका / संसद

भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। यह द्विसदनात्मक विधानमण्डल है जैसा कि यू. एस. ए, ब्रिटेन एवं अन्य देशों में है। संसद का उच्च सदन राज्य सभा है। इसमें एक सभापति होता है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चुने हुये प्रतिनिधियों के अलावा 12 मनोवीत् सदस्य भी होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत होते हैं।

हमारे यहाँ राज्य सभा अमेरिकी सीनेट से अलग है क्योंकि राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के हिसाब से होता है। इसके सदस्य राज्यों की विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार सभी राज्य समान रूप से अपने प्रतिनिधि राज्य सभा में नहीं भेजते हैं। संसद का निचला सदन लोक सभा के नाम से जाना जाता है। लोक सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। यह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

राज्य सभा को धन विधेयक पर बहुत कम अधिकार है क्योंकि धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। ऐसे विधेयकों को राज्य सभा 14 दिन के अंदर वापस लोक सभा को भेजती है। लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशों को या तो मान लेती है या फिर उन्हें खारिज़ कर सकती है। यदि किसी कारणवश किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो फिर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और फिर उस पर मतदान कराया जाता है।

कोई भी विधेयक तभी जा कर कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे बिल को अपने पास रख सकते हैं। या फिर उसे वापस संसद के पास अपने सुझावों के साथ भेज सकते हैं। अभी तक बहुत कम अवसर मिले हैं जहाँ पर राष्ट्रपति ने किसी बिल को अपने पास रखा है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) अनुच्छेद 20 और 21 में किस तरह की अधिकारों की बात की गई हैं? क्या ये अधिकार प्रतिबंधित अथवा अस्थायी रूप से निलंबित हो सकती हैं?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2) केन्द्रिय मंत्रिमंडल में शामिल हैं –

क) प्रधानमंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री और राज्यों के मंत्री

ख) कैबिनेट रैंक के मंत्री और राज्यों के मंत्री

ग) प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के मंत्री

न्यायपालिका

सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास वास्तविक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है जबकि उच्च न्यायालयों को राज्य में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। विध ाायिका द्वारा बनाये गये कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर–कानूनी घोषित किया जा सकता है यदि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलौकन की शक्ति मानी जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय सरकार एवं इसकी एजेंसियों को याचिका भी जारी कर सकती हैं। इसका मुख्य उदाहरण है बंदी प्रत्यक्षीकरण ओदश। इस याचिका के अंतर्गत याचिका कर्ता सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्देश दिला सकता है कि पुलिस को संबंधित केस के मामले में कोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संविधान में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का भी प्रावधान हैं संसद को यह अधिकार दिय गया हैं। कभी–कभी सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इसे बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से हल किया गया जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ज्यादा शक्तियाँ है।

4.5 आपातकाल प्रावधान

संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधान हैं। तीन प्रकार के आपातकाल घोषित किये गये हैं। 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। 26 अक्टूबर, 1962 में पहली बार चीन के साथ युद्ध में इस आपातकाल की घोषणा हुई थी। यह 1968 तक जारी रहा था। दूसरी बार 31 दिसम्बर, 1971 में भारत–पाक युद्ध के दौरान यह आपातकाल लगाया गया था। तीसरी बार 25 जून, 1975 को आपातकाल लगाया था। इसे बाद में 1977 में हटा दिया गया था। तीसरा आपातकाल जैसा कि आलोचक मानते है श्रीमति इंदिरा गाँधी द्वारा लगाया गया था जबकि देश में ऐसा कोई संकट या खतरा नहीं था। इसे लोकतंत्र का काला दिन माना जाता है क्योंकि उस समय विरोधियों को गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था एवं मूल अधिकारों पर भी चोट पहुँची थी।

4.5.1 सामान्य आपातकाल

इस प्रकार का आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा खतरे में हो या युद्ध के समय दुश्मन देश द्वारा किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस किया गया हो।

4.5.2 संविधानिक आपातकाल की घोषण

यह आपातकाल बहुत विवादित माना जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से राज्य में संविधानिक संकट की स्थिति पैदा होने की रिपोर्ट प्राप्त करता है उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है तथा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर केन्द्र सरकार के अधीन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल के पास सरकार एवं प्रशासन की सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की और से या केन्द्र सरकार की ओर से अपने सलाहकारों की नियुक्ति करता है प्रशासन के कामकाज देखने के लिये।

ऐसे कई उदाहरण हैं जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसका सबसे पहला उदाहरण है केरल जहाँ 1959 में राष्ट्रपति शासन लगाकर कम्युनिस्ट सरकार को प्रधानमंत्री नेहरू ने बर्खास्त कर दिया था। हालांकि उस सरकार के पास राज्य विधानमंडल का बहुमत थां उस वक्त इस निर्णय की काफी आलोचना भी हुई थी क्योंकि राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। दूसरी तरफ इसके समर्थकों का मानना था कि सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश था क्योंकि इसकी नीतियाँ जनता के हित के नहीं थी इसलिए ऐसी स्थिति में जनता के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय सही था।

इसके बाद भी कई बार, राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1977, 1979 एवं 1984 में राष्ट्रपति शासन लगाये गये थे। कर्नाटक में जब एस. आर. बोम्बई की सरकार को बर्खास्त किया गया तब न्यायालय ने इस निर्णय को गलत ठहराया था।

4.5.3 वित्तीय आपातकाल

संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत यदि देश में वित्तीय संकट हो, वित्तीय अस्थिरता हो तब ऐसी

स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बाद में 1979 में संविधान के 44 वें संशोधन के द्वारा यह बदलाव किया गया कि ऐसी घोषणा के लिए लोक सभा एवं राज्य सभा से पारित किया जाना चाहिए और यह घोषणा के दो महीनों के अंदर ही पारित किया जाना आवश्यक है।

4.6 संघवाद

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए एक संघीय ढाँचे की व्यवस्था की थी जिसमें एक मजबूत केन्द्र सरकार हो। संविधान के भाग 11 में केन्द्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान राज्यों में भी कुछ विशेष अधिकारों के तहत सरकार के गठन की बात करता है। इस प्रकार भारत के संविधान में केन्द्रिकरण एवं विकेन्द्रीकरण दोनों के लक्षण मौजूद हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के एक या डेढ़ दशक के बाद केन्द्र एवं राज्यों के बीच कोई समस्या नहीं थी। विद्वानों ने इसे जवाहर लाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व को श्रेय दिया था जिसने ज्यादातर राज्यों में काँग्रेस की सरकार थी तथा केन्द्र में भी काँग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन जब इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी तब केन्द्र एवं राज्यों के बीच में तनाव पैदा हुए क्योंकि इंदिरा गाँधी का लक्ष्य केन्द्र को ज्यादा मजबूत बनाना था। यह इसलिए था क्योंकि 1975 में आपातकाल भी लगाया था तथा राज्यों में नेतृत्व भी काफी कमजोर था।

1990 के आसपास राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया था। केन्द्र में भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी और इसे क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा जैसे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के) और ए.आई.ए.डी.एम.के. तमिलनाडु में, तेंलगू देशम पार्टी आंध्रप्रदेश में, शिव सेना महाराष्ट्र में, नेशनल काँग्रेस जम्मू एवं कश्मीर में तथा असम गण परिषद असम में मजबूत पार्टी थी। इसके अलावा जनता पार्टी के गुट भी कई राज्यों में अपना जनाधार मजबूत करने में सफल हुए थे।

4.6.1 केन्द्र–राज्य संबंध

केन्द्र एवं राज्यों के संबंध की समस्या राज्यों में गैर काँग्रेसी सरकार बनने के बाद शुरू हुई थी। 1960 के दशक में कई राज्यों में गैर काँग्रेसी सरकार बनी थी इनमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं बिहार शामिल है।

वित्तीय संबंध

सबसे अधिक विवाद का कारण केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध है। विशेषकर संसाधनों का बंटवारा एवं केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि से है। लंबे समय से राज्य अपने लिये संसाधनों का बड़ा हिस्सा देने की माँग कर रहे हैं, लेकिन अब नये प्रस्ताव में प्रदर्शन के हिसाब से अनुदान मिलेगा।

राज्यपाल शासन

दूसरा सबसे प्रमुख विवाद का कारण केन्द्र एवं राज्यों के बीच संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन है। राज्यपाल मुख्यतौर पर केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, सरकारिया आयोग ने 1988 में यह सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जानी चाहिए। लेकिन इस सिफारिश को नहीं माना गया। सरकारिया आयोग ने सहयोगात्मक संघवाद की वकालत की थी।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

4.7 सापेक्ष लचीलापन

विद्वानों ने संविधान को सजीव दस्तावेज माना है। इसे बदलते हुए समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। संविधान में संशोधन करना इसके लचीलेपन को दर्शाता है। संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता का इसकी आंतरिक विशेषता बनाया गया है। जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो यह आशा की जाती है कि यह अच्छा बदलाव लायेगा। अन्य शब्दों में इससे अधिक प्रदान किया जायेगा न कि वापस लिया जायेगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन से संबंधित प्रावधान या प्रक्रिया कठोर एवं लचीली दोनों ही है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं लेकिन कुछ संशोधनों के लिए संसद के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की भी जरूरत होती है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति भी आवश्यक है।

दो सबसे प्रमुख इस संशोधन के पहलू है, पहला संसद को इस पर संपूर्ण अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है तथा दूसरा संविधान ही सर्वोपरी है। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि संविधान ही सर्वोपरी है क्योंकि संसद भी उसी का सृजन है। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि संसद संविधान के मूल ढ़ाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि जो संशोधन किये गये हैं वे संविधान के मूल ढ़ाँचे के विपरीत है या नहीं।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) भारत के संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्ति का परीक्षण कीजिए।

....

....

....

....

....

2) क्या भारतीय संसद, संविधान के मूल संरचना का संशोधन कर सकता हैं?

....

....

....

....

....

4.8 सारांश

भारतीय संविधान एक सफलतापूर्वक दस्तावेज है जिसने लोकतांत्रिक परंपरा के मूल्यों को मजबूत बनाया है। इसने जो परंपरा स्थापित की है वह सामान्यतया विसंगतियों को दूर

करने के लिये है जो कि इसकी सफलता है। संविधान संघवाद को बढ़ावा देता है, मूल अधिकारों की गांरटी देता है, तथा राष्ट्रपति, मंत्रीपरिषद संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश करता है।

4.9 संदर्भ सूची

ग्रेनविन ऑस्टिन (1996), *दि इंडियन कंस्टीट्यूशन : कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

पी. एम. बक्शी (1999), *दि कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) अनुच्छेद 20 व 21 अपराध के दोषी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण अवगत करा कर ही गिरफ्तार किया जा सकता है तथा उसे अपने विरूद्ध साक्षी होने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन अनुच्छेदों को निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

2) क

अभ्यास प्रश्न 2

1) संसद कुछ अनुच्छेद को संशोधित कर सकता है साधारण बहुमत से, लेकिन बहुत से अनुच्छेद के संशोधन के लिए दो–तिहाई उपस्थित सदस्यों के मत और सहमति के साथ–साथ राष्ट्रपति की सहमति होती है। इनमें से कुछ को अलग से कम–से–कम आधे राज्य विधानसभा की सहमति चाहिए।

2 क्योंकि संविधान ना कि संसद सर्वोच्च है। संसद, संविधान के मूलभूत विशेषताओं को संशोधित या बदल नहीं सकती है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 5 मौलिक अधिकार*

संरचना

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

5.2.1 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक

5.2.2 1928 की नेहरु रिपोर्ट

5.2.3 1945 की सप्रू रिपोर्ट

5.2.4 मौलिक अधिकारों पर उप–समिति

5.3 मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताऐं

5.4 छः प्रमुख मौलिक अधिकार

5.4.1 समानता का अधिकार

5.4.2 स्वतंत्रता का अधिकार

5.4.3 शोषण के विरूद्ध अधिकार

5.4.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5.4.5 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार

5.4.6 संविधानिक उपचारों का अधिकार

5.5 मूल आधार सिद्धांत

5.6 मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध

5.7 सारांश

5.8 संदर्भ सूची

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप यह समझ सकेंगे :

- मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य;
- उनकी प्रमुख विशेषताएं;
- छः प्रमुख मौलिक अधिकार; और
- मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध।

5.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपने पढ़ा होगा जिसमें यह कहा गया है कि ''हम भारत के लोग'' सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सुरक्षा तथा सम्मान प्राप्त करने का वचन लेते है। इन प्रतिबद्धों को संविधान के भाग तीन एवं भाग चार में रखा गया है। भाग तीन मौलिक अधिकारों से संबंधित है जबकि भाग चार राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। आप नीति–निर्देशक सिद्धांतों के बारे में इकाई संख्या 6 में विस्तार

* डा. दिव्या रानी, कंसल्टेंट, राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू

से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार न्यायोचित है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति जिसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वह उसके लिए न्यायालय के पास जा सकता है। नीति–निर्देशक सिद्धांतों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरह से गैर न्यायाधिकृत है। अर्थात् यदि राज्य नीति–निर्देशकों का अनुपालन नहीं करता है तो नागरिक उसके खिलाफ न्यायालय के पास नहीं जा सकता।

5.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

अधिकारों की अवधारणा जिसे हम मौलिक अधिकार कहते है, इनका उद्‌भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑस्टिन के अनुसार मौलिक अधिकारों की अवधारणा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही आ गयी थी। जिसमें भारतीय नागरिक भी ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार एवं प्रलाब्ध चाहते थे। इनमें से कुछ अधिकारों को दस्तावेजों जैसे कि भारतीय संविधान विधेयक, 1895 के अंतर्गत शामिल किये गये। यह विधेयक भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे, भाषण की स्वतंत्रता, अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जेल भेजना तथा राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा व्यवस्था करना। आगे के वर्षों में भारतीयों को और अधिकार देने की माँग का प्रयास किया गया। इन माँगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों में भी शामिल किया विशेषकर, 1917 एवं 1919 के विभिन्न विधेयक एवं समिति रिपोर्टों में यह शामिल किया गया। 1925 में ऐनी बेसेंट द्वारा भारत के लिए राष्ट्रमंडल विधेयक का मसविदा तैयार किया गया था, 1928 में नेहरु रिपोर्ट, 1945 में सप्रू रिपोद्व तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सभा की उप–समितियां भी बनायी गयी थी।

5.2.1 1925 का भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक

राष्ट्रमंडल विधेयक ने भारतीयों के लिये सात मौलिक अधिकारों की माँग की। इन अधिकारों में शामिल है :– व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की आजादी, बात करने की आजादी, एकत्रित होने की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता इस विधेयक में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त रखने का भी प्रावधान था, मार्ग का समान रूप से प्रयोग करना, न्याय का प्रावधान एवं व्यवसाय करने के स्थान के लिए समान व्यवस्था करने का भी प्रावधान था।

5.2.2 1928 की नेहरु रिपोर्ट

राष्टमंडल विधेयक के प्रिंट होने के तत्पश्चात् 1927 में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया जिसका मूल मकसद था भारत में संविधानिक सुधार की संभावनाओं का परीक्षण करना। साइमन कमीशन के जवाब में, काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक समिति के गठन का प्रावधान था। यह समिति मद्रास में आयोजित वार्षिक सत्र में गढ़ित की गयी थी जिसका उद्देश्य था ''भारत के लिए स्वराज संविधान'' का मसौदा तैयार करना।

इस मसौदे का मूल उद्देश्य था अधिकारों की घोषणा करना। संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी समिति को दी गयी। इस समिति का नाम था नेहरु समिति, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरु। नेहरु रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की जरूरत को रेखांकित किया जो कि औपनिवेशिक शासन ने उन्हें देने से मना कर दिया था। वास्तव में नेहरु रिपोर्ट में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान थे वे राष्ट्रमंडल विधेयक में शामिल अधिकारों की ही पुनरावृति थी। इस रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत को भी रेखांकित किया था। काँग्रेस पार्टी ने अपने 1931 में हुए कराची

सत्र में जनता के शोषण को समाप्त करना तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की जरूरत को महसूस किया। इसने यह भी सुझाव दिया कि मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उपर्युक्त कानून भी बनाया जाये।

5.2.3 1945 की सप्रू रिपोर्ट

सप्रू समिति का कार्य था भारत के भविष्य के लिए संविधान निर्माण के कार्य को गति प्रदान करना। इस समिति में 30 सदस्य थे। इसका नाम सप्रू समिति रखा गया था क्योंकि इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे जो कि एक जाने माने वकील थे। यह रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई थी। सप्रू समिति ने अधिकारों से संबंधित दो सुझावों की वकालात की थी। पहला सुझाव था, न्यायोचित एवं गैर–न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर बताना तथा दूसरा सुझाव था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।

5.2.4 मौलिक अधिकारों पर उप–समिति

आपने इकाई संख्या एक में पढ़ा होगा, संविधान सभा ने संविधान में सुझाव शामिल करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया था। इनमें से एक समिति वह थी जिसे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं जनजातिय अधिकारों के ऊपर अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति को विभिन्न उप–समितियों में विभाजित किया गया था। इनमें से एक उप–समिति मौलिक अधिकारों पर भी थी। इस समिति के अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी थे। इस समिति समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों का प्रतिनिधित्व था जिनमें महिलाएं अमृत कौर एवं हंसा मेहता भी शामिल थी इस समिति का सबसे प्रभुत्व निर्णय था मौलिक अधिकारों को न्यायोचित मानना एवं न्यायाधिकृत अधिकार स्वीकार करना। इस समिति के सुझावों को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया था जब संविधान सभा में इनके ऊपर चर्चा कर ली गयी थी।

5.3 मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताऐं

मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताऐं इस प्रकार हैः–

i) सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। अर्थात् सभी नागरिक कानून के अंतर्गत समान है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का अधिकार है तथा आंदोलन करने का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता यदि ये कानून के मुताबिक हो।

ii) अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की अनुमति है। मौलिक अधिकार वास्तव में व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय को भेदभाव, राज्य कार्यवाही एवं पक्षपात से सुरक्षित रखा जाता है। संविधान में तीन अनुच्छेद व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छूआछूत को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 15 (2) के अंतर्गत किसी भी नागरिक को उनकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, दुकानों रेस्टोरेंट, कुँए, सड़क इत्यादि के प्रयोग करने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तथा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, बाल शोषण और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। यह मुख्य रूप से मालिक और मजदूर या किसान के बीच का मामला अधिक है।

iii) कई प्रकार के साधन प्रदान किये गये हैं ताकि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दो प्रकार के उपाय किये गये हैं जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। पहला न्यायिक समीक्षा (न्यायिक पुनरावलोकन) तथा दूसरा याचिकाओं द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो याचिकाऐं दाखिल की जा सकती है। ये दोनों उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिये गये हैं।

iv) मौलिक अधिकार प्राकृतिक एवं कानूनी दोनों ही है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) 1925 का राष्ट्रमण्डल विधेयक क्या था?

....

....

....

....

....

2) नेहरु रिपोर्ट और सप्रू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताऐं क्या थी?

....

....

....

....

....

5.4 छः प्रमुख मौलिक अधिकार

मूल संविधान (1950) में सात मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संशोधन के बाद 1978 में इन्हें छः कर दिया गया। इस संशोधन ने सातवें मौलिक अधिकार ''सम्पति'' के अधिकार को समाप्त कर दिया था। यह अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। आप नीचे इन अधिकारों के बारे में उप–इकाई में अध्ययन करेंगे।

5.4.1 समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा भारत के किसी भी क्षेत्र में उन्हें समान रूप से कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार यह अधिकार सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 15,16,17, और 18 सामाजिक एवं आर्थिक समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव

करने को निषेध मानता है। हालांकि राज्य कुछ विशेष सकारात्मक नीतियां बना सकता है महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्गों के लिए। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, रेस्टोरेंन्ट होटल, दुकान या मनोरंजन के स्थानों, कुंओं का प्रयोग करने, इत्यादि का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध मानता है।

अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की गारन्टी देता है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध मानता है। राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। किसी भी प्रकार की छुआछूत का कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना गया हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य किसी भी प्रकार को उपाधि नहीं देगी सिवाय सेना या शैक्षिक प्रतिष्ठा के अलावा। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो पद पर आसीन हो वह किसी भी प्रकार का गिफ्ट, उपहार स्वीकार नहीं करेगा तथा कोई भी विदेशी उपहार भी स्वीकार नहीं करेगा।

5.4.2 स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह कानूनी रूप से नियंत्रित अधिकार है। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित अधिकार दिये गये है :—

i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी — इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता एवं संप्रभुता की रक्षा करना, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कानून और व्यवस्था, नैतिकता स्थापित करना, तथा सार्वजनिक संपत्ति को गंदा ना करना या किसी गलत कार्य को उकसाना इत्यादि।

ii) बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, यह भारत की सुरक्षा एवं एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करता है, तथा शांति व्यवस्था कायम रखता है।

iii) संघ एवं संगठनों को गठित करना, यह भारत की संप्रभुता एवं एकता को संयोजित रखता हैं तथा लोक नैतिकता को भी बनाये रखता है। यह ''सहयोगिक समाज'' जो कि 2012 में 97वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, को भी शामिल करता है।

iv) भारत के किसी भी क्षेत्र में मुक्त भ्रमण करना, इससे आम नागरिक एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखा जाता है।

v) भारत के किसी भी भूभाग में निवास करना या स्थायी आवास बनाना। तथा

vi) किसी व्यवसाय को शुरू करना, किसी भी कारोबार, व्यापार या व्यवसाय को करना, यह शिक्षित व्यवसाय पर आधारित होता है। इसके लिए योग्यताएं होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। सभी मौलिक अधिकारों में यह केन्द्रिय अधिकार है अर्थात् जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 2002 में न्यायपालिका ने इस अधिकार की सही तरीके से व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त, 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 21 ए भी जोड़ा गया था जिसमें राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष के बीच के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं

मुफ्त शिक्षा की गांरटी प्रदान करता है। पहले यह नीति–निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में शामिल था। अनुच्छेद 20 राज्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त सुनवायी की व्यवस्था का प्रावधान करता है। किसी भी व्यक्ति को सजा नही मिल सकती सिवाय किसी कानून के उल्लंघन करने के अतिरिक्त। अनुच्छेद 22 कें अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खंड बनाये गये हैं जिसमें किन्हीं मामलों में गिरफ्तारी एवं सजा से संरक्षण प्रदान किया गया है।

5.4.3 शोषण के विरूद्ध अधिकार

भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरूद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 बाल शोषण, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, कारखानें, या हानिकारक व्यवसाय में रोजगार नहीं दे सकते या उन्हें काम पर नहीं रख सकते हैं।

5.4.4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म की पूजा, उपासना करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह स्वतंत्रता नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसके अलावा संविधान के भाग तीन दिये गये प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिये। इस अनुच्छेद के मुताबिक कोई भी निर्धारित कानून इसको प्रभावित नहीं करेगा तथा राज्य को भी कानून बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता।

i) किसी भी आर्थिक, वित्तिय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरेपेक्ष कार्य को नियमित करना जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित हो।

ii) सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलना।

विवेक की स्वतंत्रता को दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूत बनाया गया है। ये अनुच्छेद है 27 एवं 28। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या रखरखाव में व्यय के लिये कोई कर अदा करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। अर्थात् यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिये किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 28 पूर्णतया राज्य निधि से संचालित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतः प्रतिषेध करता है। राज्य से मान्यता तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के मामलों में, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी।

5.4.5 सांस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 एवं 30 संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, या संस्कृति है, उसे बनाये रखने के अधिकार की गांरटी देता है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूलवंश जाति या भाषा के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंध का अधिकार होगा।

5.4.6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये समुचित कार्यवाही द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाने के अधिकार की गारंटी देता है। उच्चतम न्यायालय जिन उपायों से मूल अधिकारों की रक्षा करता है उन्हें याचिका या न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये रिट या न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार है :— बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिये इन याचिकाओं का आदेश दे सकता है। इन रिटों का अर्थ इस प्रकार है :—

i) **बंदी प्रत्यक्षीकरण** — यह रिट जीवन के अधिकार की रक्षा करती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है। यह रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवायी के हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता हैं। यह कार्यपालिका को चुनौती देती है यदि कार्यपालिका ने किसी व्यक्ति को कानून के विपरीत हिरासत में लिया हो। यह रिट कानून को भी चुनौती देती है यदि यह कानून गैर संविधानिक है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को बरी कर सकता है यदि उसे गैर–कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। यदि इस रिट का उल्लंघन किया तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी तथा उसे सजा भी मिल सकती है।

ii) परमादेश — परमादेश का अर्थ है आदेश। यह किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी डयूटी पूरी करने के लिये कहा जाता है जो कि उसने करने से मना कर दिया हो। यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता । यह किसी व्यक्तिगत या निजी संस्था के विरूद्ध भी नहीं जारी किया जा सकता।

iii) प्रतिषेध — यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न कोर्ट को यह रिट जारी करता है। यह निम्न कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में सुनवायी के लिए किसी केस को निषेध मानती है।

iv) अधिकार पृच्छा — इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निम्न कोर्ट द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रखे गये रिकार्ड को मंगा सकती है।

v) उत्प्रेषण — इस रिट के माध्यम से कोर्ट किसी व्यक्ति से उसके बारे में पूछ सकता है कि किस अधिकार क्षेत्र से वह किसी कार्यालय अथवा सत्ता में आसीन है।

5.5 मूलभूत आधार सिद्धांत

मूलभूत आधार सिद्धांत के अनुसार संसद किसी भी संशोधन के द्वारा संविधान के मूलभूत ढाँचे को नहीं बदल सकती। इसमें मूल आधिकार, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता तथा संसदीय लोकतंत्र शामिल है। यह सिद्धांत 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद अस्तित्व में आया था। इसे हम केशवानंद भारती विरूद्ध केरल राज्य के केस के रूप में जानते है। इस केस में मठाधीश केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में केरल सरकार के एक निर्णय को चुनौती दी थी। इसके अंदर केरल सरकार ने भूमि सुधार के तहत् निजी जमीन को अधिग्रहण कर लिया था। इस निर्णय के विरूद्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संविधान के मूल सिद्धांत अर्थात् मूल अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि निजी संपत्ति का अधिकार

संविधान का मूल ढाँचा नहीं है। इसके बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। जैसा कि मूल अधिकारों को लागू करना कोर्ट की जिम्मेदारी है इसलिए कोर्ट ही इन्हें विशेष रूप से संरक्षित रखती है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिये रिट जारी करता है। केशवानंद भारती केस से पूर्व भी कोर्ट ने गोलकनाथ विरूद्ध पंजाब राज्य मामले में 1967 में भी मूल अधिकारों की रक्षा की थी। इस केस में कोर्ट ने संसद के अधिकारों में कटौती की थी ताकि वह मूल अधिकारों में कटौती न कर सके। 1975 में इंदिरा गाँधी विरूद्ध राज नारायण केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल आधार सिद्धांत को प्रयोग किया था उसके बाद 39वाँ संविधान संशोधन को भी हटा दिया गया जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा की परिधि से दूर रखा जाय।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) छः प्रमुख मूल अधिकार कौन–कौन से है?

....

....

....

....

....

2) मूल आधार सिद्धांत क्या है?

....

....

....

....

....

5.6 मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध

भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का प्रावधान किया है। इसमें सभी नागरिकों को विभिन्न अनुच्छेदों विशेषकर मौलिक अधिकारों के संबंध में उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि मौलिक अधिकार भी परिपूर्ण नहीं है। उनके ऊपर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। राज्य देश की सुरक्षा, एकता एवं संप्रभुता बनाये रखने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है तथा विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य समानता के अधिकार पर भी कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकता है जिसमें, समाज के वंचित, वर्गों खासकर महिलाओं, बच्चों सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्गों के लिए कुछ कल्याणकारी नीतियों को लागू कर सकती है।

अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सुरक्षा बलों, सेना एवं पुलिस के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। इस अनुच्छेद का मतलब है सुरक्षा बलों के अंदर अनुशासन की भावना कायम करना ताकि वे कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में अपना योगदान दे सके। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान उपचार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सके। उच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों की याचिका की सुनवायी से मना कर सकता है।

5.7 सारांश

मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ये अधिकार मानव के विकास के लिए मूलभूत शर्तें है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायोचित है। भारत में, इन अधिकारों को 19वीं शताब्दी में संविधान में इनकी महत्ता के कारण संविधान में शामिल किया गया। मूल ढाँचा सिद्धांत के अंतर्गत मूल अधिकार संविधान के मूल ढाँचे को इंगित करते हैं। इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय मूल अधिकारों को रिट के माध्यम से लागू करवाता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के किसी भी नागरिक को सुरक्षा और आज़ादी देता है।

5.8 संदर्भ सूची

खोसला, माधव (2012), ''द इंडियन कंस्टीट्यूशन'', नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

ग्रेनविल, ऑस्टन (2012), ''दि इंडियन कंस्टीट्यूशन : कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन'', नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

चौवे, सिवानी किंकर (2009), ''द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कंस्टीट्यूशन'', नई दिल्ली, एन. बी.टी.

बसु, दुर्गा दास (2004), ''इंट्रोडक्षन ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया'', वधवा, नागपुर.

सरकार, सुमित (1983), ''मार्डन इंडिया, 1885–1947'', नई दिल्ली, मैक्मिलन.

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता जैसे विचारों की नींव रखी । इस विधेयक ने प्राथमिक शिक्षा, मार्गों का समान प्रयोग करना, न्याय प्रक्रिया तथा अन्य व्यवसाय के स्थानों की माँग की।

2) नेहरु रिपोर्ट 1928 में तैयार की थी, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु थे। इसका कार्य था भारत के संविधान के मसौदे को तैयार करना। इस समिति ने भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की बात की जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल थे। सप्रू रिपोर्ट ने दो महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे। (i) न्यायोचित अधिकार एवं गैर–न्यायोचित अधिकारों की बीच अंतर बताना तथा (ii) अल्पसंख्यकों की बात करना।

1) छः प्रमुख मौलिक अधिकार इस प्रकार है – (i) समानता का अधिकार (ii) स्वतंत्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरूद्ध के अधिकार (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (v) संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (vi) तथा संविधानिक उपचारों का अधिकार

2) मूल ढाँचा सिद्धांत – यह सिद्धांत संविधान की मूल भावना को इंगित करता है। इसमें मूल अधिकार भी शामिल है। इन्हें 1973 में केशवानंद भारती केस से प्रतिपादित किया गया था।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्त्तव्य*

संरचना

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों का उद्भव
6.2.1 मूल कर्त्तव्यों की उत्पत्ति
6.3 भारतीय नागरिकों के मूल कर्त्तव्य
6.4 निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों में संशोधन
6.5 निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन
6.6 निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों की सीमाऐं
6.7 सारांश
6.8 संदर्भ सूची
6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

यह इकाई नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्त्तव्यों से संबंधित है। इसमें इनकी उत्पत्ति, विशेषताऐं, सीमाऐं इत्यादि दी गयी है। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप यह जान सकेंगे:—

- नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों को समझना
- नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों के संशोधन की व्याख्या
- नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों की सीमाएं जानना।

6.1 प्रस्तावना

आपने इकाई संख्या 5 में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा। ये अधिकार न्यायसंगत या न्यायोचित भी है। इस इकाई में आप गैर न्यायोचित अधिकार यानि नीति—निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्त्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। नीति—निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा राज्य को निर्देशित सिद्धांत है जबकि मूल कर्त्तव्य भारत के नागरिकों के लिए है। नीति—निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36—51 में भाग 4 में रखा गया है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सभी वर्गों के लिए न्याय प्राप्त करना है ताकि एक समानाधिकारवादी समाज की स्थापना की जा सके। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति—निर्देशक का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य पूरा करना है। इसके अलावा संविधान में नागरिकों के लिए कुछ कर्त्तव्यों का भी प्रावधान दिया गया है। ये कर्त्तव्य संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है तथा इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया तथा 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से विस्तृत किया गया।

* डा. दिव्या रानी, कंसल्टेंट, राजनीति विभाग संकाय, इग्नू

6.2 नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों की उत्पत्ति

जैसा कि आप इकाई संख्या 4 में पढ़ चुके है मूल अधिकारों को संविधान में संविधान सभा की अधिकारों की उप–समिति के सुझावों के अनुसार शामिल किया गया था। वास्तव में संविधान सभा में इसके ऊपर बहस भी हुई थी कि अधिकारों को दो भागों में बाँटा जाना चाहिए, न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित या मूल अधिकार एवं निर्देशक सिद्धांत। ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं ताकि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जा सकें ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि चार सदस्यों ने निर्देशक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बी. एन राव, ए. के अय्यर, डा. बी. आर. अम्बेडकर तथा के. टी. साह। इन सबमें बी. एन. राव सबसे प्रभावशाली थे। नीति–निर्देशक सिद्धांतों की उत्तपति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी जिसमें सामाजिक एवं राष्ट्रवादी विचारों को शामिल किया गया था। जैसा कि आपने इकाई संख्या 5 में पढ़ा होगा सप्रू समिति ने यह सुझाव दिया कि अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित। यहाँ तब कि उप–समिति ने भी इन सुझावों को सही माना था। निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा के समय राज्य की भूमिका पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार इन पर संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य सहमत थे। इन प्रावधानों में हिन्दु दृष्टिकोण एवं गाँधावादी विचारों को भी शामिल किया गया था। संविधान सभा में गंभीर विचार विमर्श के पश्चात् संविधान के भाग 4 में इन सिद्धांतों को शामिल किया गया। नीति–निर्देशक सिद्धांतों की सूची इस प्रकार है :–

अनुच्छेद सं.	विषय
36	राज्य की परिभाषा
37	इस भाग में दिये गये सिद्धांतों को लागू करना
38	राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना
39	राज्य को कुछ नीतियाँ का पालन करना
39ए	समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता
40	ग्राम पंचायतों का गठन करना
41	कुछ मामलों में लोक सहायता, काम का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार
42	काम के लिए मानवीय स्थिति का प्रावधान एवं मातृत्व राहत
43	कामगारों या मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना
43ए	उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों की भागेदारी
43बी	सामूहिक सहयोगात्मक सोसाइटी को बढ़ावा देना
44	नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू करना
45	छः वर्ष से कम के बच्चों के लिए शिक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था करना।
46	समाज के कमजोर वर्गों – अनु. जाति, जनजाति के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा देना।
47	राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिक के स्वास्थ्य में सुधार करे तथा

48	कृषि एवं पशुपालन को संगठित करना
48ए	पर्यावरण की रक्षा करना एवं वन जंगली जीवन का संरक्षण करना
49	राष्ट्रीय–महत्व के स्थानों एवं स्मारकों का संरक्षण करना
50	कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।

दुर्गा दास बसु ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है। प्रथम, ऐसे कुछ आदर्श जिसे संविधान सभा ने राज्य द्वारा प्राप्त करने को अपेक्षित थे विशेषतौर पर आर्थिक द्वितीय, विधायिका एवं कार्यपालिका को कुछ निर्देश देना ताकि वे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सके। तीसरा, कुछ अधिकार जिसे न्यायालय भी जबरदस्ती से लागू नहीं कर सकता है जैसे कि मूल अधिकार, लेकिन राज्य द्वारा नीतियाँ बनाकर इन्हें लागू किया जा सकता है।

भाग चार में दिये गये अनुच्छेदों के अलावा कुछ अन्य अनु. भी है जिसमें राज्य को लोगों के लिए नीतियों बनाने का अधिकार दिया गया है। ये अनु. 335, 350ए तथा 351 है। अनु. 335 के अधीन लोक सेवाओं के लिये नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा, पर साथ ही प्रशासन की दक्षता को भी बनाये रखा जायेगा। अनुच्छेद 350ए यह आदेश है कि हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे। अनु. 351 के अधीन संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली–जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

6.2.1 मूल कर्त्तव्यों की उत्पत्ति

जब संविधान अपनाया गया उस समय संविधान मे मूल कर्त्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 1970 में संविधान में जोड़ा गया। यद्यपि संविधान के अनु. 33 में केवल सैन्य बलों के यह कर्त्तव्य दिया गया तथा पुलिस बलों को कि वे हमेशा अपना कर्त्तव्य ठीक से निभायें, तथा अनुशासन बनाये रखें। बाद में 1976 में 42 वें संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया था। इस संशोधन के अनुसार नागरिकों को कुछ कर्त्तव्यों का पालन करने को कहा गया है। 42 वें संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद किया गया। इस समिति ने संविधान में एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की थी जिसमें नागरिकों के मूल कर्त्तव्य हो। इस सिफारिश को आधार मानकर ही संविधान में परिवर्तन किया गया जो जनवरी 1977 से लागू हुए। 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः विस्तृत किया गया। मूल कर्त्तव्यों के अनुच्छेद 51ए में लिखित प्रावधान से मेल खाते है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपना विकास स्वयं कर सके। कुल 11 मूल कर्त्तव्य है नागरिकों के जिनका विवरण इस प्रकार है।

6.3 भारतीय नागरिकों के मूल कर्त्तव्य

संविधान के अनुच्छेद 51ए में भारतीय नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों की सूची दी गयी है जो इस प्रकार हैः–

क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करे।

ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।

घ) देश की रक्षा करे और आहवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

ड.) भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातष्त्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और वर्ग या क्षेत्र पर आधारित हो और सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरूद्ध हो।

च) हमारी समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिपक्ष्य करें

घ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे।

ण) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

ट) माता–पिता अथवा अधिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

6.4 नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों में संशोधन

नीति–निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नये खंड जोड़ें गये संशोधन के माध्यम से। इन संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों को और अधिक समावेशी एवं समाज कल्याणी बनाये गये है। 42वें संशोधन ने चार नये विषयों को शामिल किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 39, 39ए, 43ए एवं 48ए जोड़ा गया है। 39 के अंतर्गत सभी बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास की बात कही गयी है। 39ए में गरीबों के लिये समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है, अनु. 43ए के अंतर्गत मजदूरों को औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी का प्रावधान है जबकि अनु. 48ए में पर्यावरण, जंगल एवं जंगली जीवन के संरक्षण का प्रावधान है। 44वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया जिसमें राज्य को आय, पद, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानता को कम करने का निर्देश दिया गया है। 86वें संशोधन के तहत् निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों में बदलाव किया गया। निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 को परिवर्तित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बच्चों जिनकी आयु 6 वर्ष की हो उनका ध्यान रखे तथा उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था को तथा अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार का भी दर्ज दिया गया है। मूल कर्त्तव्यों के अंतर्गत सभी माता–पिता एवं अभिभावक को यह निर्देश दिया गया है वे अपने बच्चों जिनकी आयु 6–14 वर्ष के बीच है उन्हें शिक्षा प्रदान करें। 2011 में 97वें संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद 43बी जोड़ा गया। इसमें राज्य के स्वायत्त संस्थाओं, को–ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन तथा उनके ऊपर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) भारत के नागरिकों के मूल कर्त्तव्य क्या–क्या हैं?

....

....

....

....

....

2) राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का वर्णन करें।

....

....

....

....

....

6.5 नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न सरकारों ने नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कई योजनाऐं, कार्यक्रम एवं कानून बनाने एवं विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया। योजना आयोग जिसको समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, उसने पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया जिनका प्रमुख लक्ष्य था सामाजिक एवं आर्थिक समानता एवं न्याय प्राप्त करना। भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया, जिससे ग्रामीण समाज में असमानताओं को दूर किया गया। सरकार ने कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कई कदम उठाये। इनमें गरीबों के हितों की सुरक्षा के कानून शामिल हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ठेके पर मजदूरों की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, बाल मजदूरी समाप्त करना, बंधुआ मजदूरी समाप्त करना, तथा औद्योगिक विवादों का निपटारा करना इत्यादि। महिलाओं की सहायता के लिए भी कई कदम उठाये गये, जैसेः– मातृत्व लाभ के कानून बनाना और समान् वेतन लागू करना ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कई कानून पारित किये, तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की भी स्थापना की। सरकार ने सूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिये खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड की भी स्थापना की। सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, स्मारकों के संरक्षण के लिए भी कानून पारित किये। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। वर्गों के ऊपर हो रहे सामाजिक शोषण के खिलाफ भी कई कानून पारित किये। ग्राम पंचायतों की स्थापना एवं इनमें कमजोर वर्गों को आरक्षण देने से इन वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। कई प्रकार के कार्यक्रमों जैसे सामूदायिक विकास कार्यक्रम, रोजगार गांरटी कार्यक्रमों ने लोगों को सशक्त बनाया है तथा इनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

प्रभावशाली तरीके से इन नीति–निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कानून पारित किये हैं। वर्मा समिति ने मूल कर्त्तव्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार की सिफारिशें की हैं। इस समिति की अध्यक्षता न्यायाधीश जे. एस. वर्मा ने की थी, जिसे हम नागरिकों के मूल कर्त्तव्य (1999) समिति के नाम से जानते हैं। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के जवाब में बनाई गयी थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार नागरिकों को मूल कर्त्तव्य सिखाने के लिए क्या योजना बना रही है। वर्मा समिति ने निम्न सिफारिशें की थी :–

क) मूल कर्त्तव्य सार्वजनिक जीवन में नागरिकों के मानकों में वृद्धि करेंगे, इसलिए सभी व्यक्तियों को इन कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।

ख) लोक पदों पर आसीन व्यक्तियों को भाई–भतीजावाद एवं अपने मतलब से दूर रहना चाहिए, उनकी प्राथमिकता लोक हित होना चाहिए न कि व्यक्तिगत हित।

ग) सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य करने के लिए ईमानदारी एवं निष्ठा सबसे प्रमुख सिद्धांत होगा।

घ) सार्वजनिक जगह पर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए।

ड.) उन्हें जितना संभव हो सके सभी निर्णय तथा कार्य पूरी तरह से सार्वजनिक करने चाहिए।

च) लोक सेवकों को हमेशा ईमानदारी कायम रखनी चाहिये।

घ) नेतृत्व सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होता है इसलिए नेतृत्व की क्षमता एवं कुशलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

मूल कर्त्तव्यों को मजबूत बनाने के लिये, वर्मा समिति ने कुछ प्रचलित कानूनों की पहचान की थी ताकि इन कर्त्तव्यों को सही ढंग से लागू किये जा सके। ये इस प्रकार हैं :–

1) जनप्रतिनिधि कानून (1951)
2) गैर–कानूनी गतिविधि रोधक कानून (1967)
3) नागरिक अधिकार संरक्षण कानून (1955)
4) वन्य जीव संरक्षण कानून (1972)
5) राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी अधिनियम (1977)
6) वन संरक्षण अधिनियम (1980)

इन कर्त्तव्यों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को निर्देश भी जारी किये हैं। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 2003 में यह निर्देश दिया कि वो वर्मा समिति एवं संविधान समीक्षा आयोग (2000) की सिफारिशों को लागू करे।

6.6 नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों की सीमाएं

नीति–निर्देशक तत्वों की प्रमुख सीमा यह है कि राज्य इन्हें कानूनी रूप से लागू करने को बाध्य नहीं है। इसके बावजूद कि राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि इन्हें लागू करे और इन्हें संविधान में भी जगह दी गयी है। निर्देशक–सिद्धांत न्यायोचित नहीं है इसलिए समाज के ताकतवर वर्ग के लोग राजनीतिक एवं आर्थिक दबाव बनाते है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों में इनकी इसी कमी को उजागर भी किया था। के.टी. साह ने यह टिप्पणी की कि

निर्देशक सिद्धांतों की सीमाऐं इनको कमजोर करेगी। जबकि टी.टी कृष्णामचारी ने इन्हें जनभावनाओं के खिलाफ बताया था। वहीं के. सन्थानम ने कहा कि इनको निर्देश देना केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ–साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बीच टकराव या विवाद बढ़ सकता है विशेषकर इन्हें लागू करने, कानून बनाने, दिशा–निर्देशक इत्यादि में। इसी प्रकार मूल कर्त्तव्य भी गैर–न्यायोचित एवं गैर–कानूनी भी है इसी कारण इन्हें भी कुछ सीमाओं में बाँधा गया है क्योंकि इनका उल्लंघन करने पर किसी भी नागरिक को कोर्ट सजा नहीं दे सकता। इस प्रकार निर्देशक सिद्धान्त एवं मूल कर्त्तव्यों की प्रकृति समान है। भारत में मूल कर्त्तव्यों का स्वरूप अन्य देशों से भिन्न हैं। क्योंकि सोवियत संघ, यूगोस्लोविया, चीन, पोलैण्ड, नीदरलैंड, जापान, वियतनाम एवं अलबेनिया में मूल कर्त्तव्य कानूनी रूप से लाजमी है एवं इन्हें लागू करवाना राज्य का दायित्व है। मूल कर्त्तव्यों का नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व भी है। क्योंकि इनको पूरा करने पर ही आय अपने अधिकारों पर दावा कर सकते हैं। मूल कर्त्तव्यों को महसूस करना एवं इनकी चेतना कुछ दशकों में भारत में बढ़ी भी हैं क्योंकि न्यायालय, नागरिक समाज संगठनों, राजनीतिक दलों, एवं सरकार ने भी इन कर्त्तव्यों के महत्व को रेखांकित किया है क्योंकि, मूल कर्त्तव्य भी समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) नीति–निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों की सीमाऐं क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

6.7 सारांश

नीति–निर्देशक सिद्धांत वे प्रावधान है जो कि राज्य को दिशा निर्देश देते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों के ऊपर कानून बनाने के लिए तथा मूल कर्त्तव्य नागरिकों को नैतिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये एक ऐसा समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो पूरी तरह से समान हो। ये दोनों मूल अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि इन्हें बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता जबकि मूल अधिकार न्यायोचित हैं इन्हें लागू करना न्यायालय का दायित्व है। राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिकों के कर्त्तव्यों का पालन करें। हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम अपने मूल कर्त्तव्यों का भी अनुपालन करे। हालांकि गैर–न्यायोचित होने के बावजूद निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्त्तव्य संविधान के मूल्यों की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6.8 संदर्भ सूची

ग्रेनविल ऑस्टिन (2012), *दि इंडियन कंस्टीट्यूशन : कार्नरस्टोर ऑफ ए नेशन*, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

चागला, एम.सी.जी.बी. मुखर्जी, (1977), *कंस्टीट्यूशनल एमेंडमेंटस–ए स्टडी,* कलकत्ता, रूपक प्रकाशन.

चौबे, के. एस., (2009), *द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कंस्टीट्यूशन,* नई दिल्ली, एन. बी.टी.।

बसु–डी. डी (2011), *इंट्रोडक्शन टू द कंस्टीट्टूशन ऑफ इंडिया,* लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ वार्धा.

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) अनुच्छेद 51 में भाग IV A में 11 मूल कर्त्तव्यों की सूची दी गयी है जो भारतीय नागरिकों दिये गये हैं। इनका विवरण 6.3 उपखण्ड में दिया गया है।

2) नीति–निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति पहली बार कराची प्रस्ताव में 1931 में दिखाई दी थी, जिसमें उस वक्त की परिस्थितियों विशेषकर 1920 के बाद उत्पनन समाजवाद के विचारकों, हिन्दु दृष्टिकोण एवं गाँधीवादी सिद्धांतों का समावेश था। सप्रू रिपोर्ट ने इनको न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित के अंतर का सुझाव दिया था। इन्हें संविधान सभा की उप समिति ने भी मान लिया था। इन्हें अंत में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया एवं संविधान के भाग (4) में शामिल कर लिया गया।

अभ्यास प्रश्न – 2

1) निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्त्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता तथा यह राज्य पर भी लागू करने को बाध्य नहीं है, हालांकि राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि इनको लागू करे। राज्य जनता के दवाब में इन्हें लागू करने को बाध्य नहीं है।